

Court No. - 13

Case :- CRIMINAL APPEAL No. - 1386 of 2024

Appellant :- Achhay Kumar

Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. And 9 Others

Counsel for Appellant :- Sanjay Srivastava, Dharam Prakash

Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania, J.

Heard Sri Sanjay Srivastava, learned counsel for the appellant and Sri S.P. Tiwari, learned AGA for the State of U.P.

By means of instant appeal preferred under Section 14-A(1) of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (in short "SC/ST Act"), the appellant has assailed the order dated 22.01.2024 passed by the Special Judge SC/ST Act, Balrampur (in short "trial court"), whereby, the trial court rejected the protest petition filed by the appellant against the final report dated 09.11.2020, in Criminal Case No. 134 of 2020 (Achhay Kumar vs. Noor Mohammadi and others), arising out of Case Crime No. 89 of 2020, under Sections- 147, 323, 504, 506, 392 IPC and Sections- 3(1)(Dha), 3(2)(v) SC/ST Act, Police Station- Kotwali Dehat, District- Balrampur. The appellant has also prayed that Investigating Officer concerned be directed to re-investigate the Case Crime No. 89 of 2020.

Brief facts of the case are to the effect that making certain allegations against some persons, the appellant had approached this Court by means of a petition i.e. Misc. Bench No. 7140 of 2020 (Akshay Kumar vs. State of U.P. and others), which was disposed of by this Court vide order dated 06.03.2020, after considering the observations made by the Hon'ble Apex Court in the judgment passed in the case of ***Lalita Kumari vs. Government of Uttar Pradesh and others*** reported in ***(2014) 2 SCC 1***, with a direction to the petitioner/appellant to approach the opposite party No. 2/ Superintendent of Police, District- Balrampur for redressal of his grievances. The order dated 06.03.2020 on reproduction reads as under:-

"Heard learned counsel for the petitioner and learned Additional Government Advocate for the respondents.

Learned counsel for the petitioner submits that petitioner has approached opposite party no.2/ Superintendent of Police, District-Balrampur for lodging the F.I.R., however no heed has been paid in the matter in question. So, the petitioner has approached this Court with the following main relief:-

"Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus thereby commanding and directing the opposite parties no.2 and 3 to take appropriate action against the opposite party no.4 to 13 on the complaint of the petitioner dated 04.01.2020, 31.01.2020 and 27.01.2020 respectively to this writ petition, in the interest of

justice."

After hearing learned counsel for the parties and going through the record as well as taking into consideration the law laid down by Hon'ble Apex Court in the case of Lalita Kumari Vs. Government of Uttar Pradesh and others reported in (2014) 2 SCC 1, we hereby direct the petitioner to approach opposite party no.2/ Superintendent of Police, District-Balrampur in respect to the grievances which he has raised in the present writ petition and thereafter opposite party no.2 shall take appropriate steps in the matter in question as per law laid down by Hon'ble Apex Court in the case of Lalita Kumari (supra).

With the above observations, the writ petition is disposed of."

It appears that after order passed by this Court dated 06.03.2020, an FIR was lodged on 21.03.2020 at about 14.35 hours against 9 persons, who are respondent Nos. 2 to 10 herein, namely Smt. Noor Mohammadi, Maroof, Rizwan, Farooq, Mairaj, Rafi, Iliyas, Haieil and Ayaas.

A perusal of the aforesaid FIR indicates that the appellant preferred an application dated 07.01.2020 before the concerned officer on tehsil diwas for removal of illegal encroachment over Gaon Sabha land situated at village-Narainpur, P.S.- Kotwali Dehat, District- Balrampur and thereafter on 24.01.2020, the concerned Lekhpal and Kanoongo reached the land in issue and measurement was carried out there by the revenue officials and during measurement, the appellant made video clip due to which altercation took place between the appellant and accused, respondent Nos. 2 to 10 herein, and the accused/respondent Nos. 2 to 10, assaulted the appellant and also snatched his mobile phone and golden ring. Further allegation in this FIR against the accused/respondent Nos. 2 to 10 is to the effect that they used abusive language and made casteist remarks against the appellant.

After lodging of FIR, the investigating officer carried out the investigation and submitted final report, against which, the appellant filed the protest petition, which was dismissed by trial court vide order impugned dated 22.01.2024. The relevant portion of the order dated 22.01.2024 on reproduction reads as under:-

"पत्रावली में संलग्न केस डायरी व विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अक्षय कुमार व गाँव के अन्य लोगो ने भू-माफियाओं से सम्बन्धित अवैध कब्जा हटवाने के लिए तहसील दिवस में प्रार्थना दिया था जिस पर तहसील दिवस अधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 24.01.2020 को समय करीब 11:30 बजे क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो के साथ वादी अक्षय कुमार व अन्य गाँववासी नरायनपुर गाँव में पैमाइश करने गये। जहाँ पर कथित विपक्षीगण ने वादी अक्षय कुमार को गाली-गलौज देते हुए उसका मोबाइल व अंगूठी छीन ली। तथा कठौवा में स्थित दिये गये गाटा संख्या की पैमाइश शुरू होने पर वादी को गाली गलौज देते हुए उसे मारने-पीटने लगे। जिसके बाद वादी द्वारा उक्त मुकदमा विपक्षीगण के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी का 161 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया जिसमें विवेचक द्वारा नामित सभी नौ लोगो के मारने-पीटने से वादी को आई चोटों का मेडिकल कराये जाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो वादी ने उत्तर दिया कि उसने कोई मेडिकल नहीं कराया है। जबकि सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को यदि नौ लोग मिलकर मारेंगे पीटेंगे तो उसे चोटें आयेंगी और वह अपनी चोटों का इलाज /डाक्टररी परीक्षण अवश्य करायेगा। इसके बाद विवेचक द्वारा भूमि की पैमाइश करने गये लेखपाल श्री गोपाल जी श्रीवास्तव व राजस्व निरीक्षक अधिकारी / कानूनगो श्री बब्बन सिंह के बयान अंकित किये गये जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.01.2020 को तहसील दिवस से आवेदकगण अक्षय कुमार आदि का प्रार्थना पत्र मिला जिसके क्रम में वे दोनो ग्राम नरायनपुर पहुँचे वहाँ आवेदक अक्षय कुमार आदि चारों व्यक्ति

मौजूद थे। नरायनपुर के प्रधान के घर के सामने रकबे की जाँच करनी थी। उन दोनों के द्वारा पैमाइश की गयी। प्रधान नूर मोहम्मदी के परिजनों द्वारा ग्राम समाज की भूमि में कब्जा किया जाना नहीं पाया गया। जब वे लोग नक्शा देख रहे थे तो अक्षय कुमार काम में बाधा डाल रहे थे तथा वीडियो बना रहे थे। लेखपाल ने टोका भी था तो वहाँ मौजूद गाँव के लोगों में से किसी ने अक्षय का मोबाइल ले लिया फिर लेखपाल ने उसी समय उससे कहकर अक्षय को मोबाइल वापस करा दिया। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का विवाद, झगड़ा, गाली-गुप्ता उनके सामने या उनकी जानकारी में किसी के द्वारा किसी को नहीं दिया गया। नरायनपुर में पैमाइश के बाद कठौवा में भी जाकर उसी समय पैमाइश किये थे। आवेदक के अतिरिक्त गाँव के काफी लोग मौजूद थे। यदि कोई घटना हुई होती तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते वे स्वयं विधिक कार्यवाही करवाते, लेकिन कोई विवाद या घटना घटित नहीं हुई थी। विवेचना के काम में पी०आर०डी० के कुछ जवान व वादी के भाई राकेश कुमार का बयान अंकित किये गया जिसमें वादी के भाई राकेश कुमार ने घटना के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि तारीख याद नहीं है ठण्डी के समय की बात है, उसका भाई व गाँव के कुछ लोग प्रधान के घर सरकारी जमीन की पैमाइश करने गये हुए थे वहीं कुछ वाता कहनी होने की बात सुनने में आई थी। मार-पीट व मोबाइल व अंगूठी छीने जाने के सम्बन्ध में उसने कुछ भी कहने से इन्कार किया और कहा कि उसे जो पता था उसने सब बता दिया है। तथा पी०आर०डी० के जवानों ने घटना के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने पर बताया कि अक्षय कुमार जयनगरा का रहने वाला है। उन लोगों के साथ कई बार ड्यूटी कर चुका है। वह बहुत बवाली आदमी है उसने विभाग में ही कमान्डेट व वी०ओ० शाहब के ऊपर दरखास्त दे दिया था। वह अनुसूचित जाति के नाम पर लोगों को मुकदमा लिखवाने की बात कह कर डराता धमकाता रहता है। इसलिए उसके बारे में कोई ज्यादा कुछ नहीं कहता है। इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा स्वतन्त्र साक्षी सियाराम, मुरली, मिट्ठलाल, जगदीश यादव, विनय कुमार मिश्रा, हरिप्रसाद, शाह आलम, त्रिभुवन यादव, प्रहलाद यादव आदि के बयान अंकित किये गये हैं जिन्होंने कथित घटना के घटित होने से इन्कार किया है। प्रोटेस्ट पिटीशन के अनुसार गवाह साधूराम यादव व दुखहरन के बयान को विवेचक ने नजरअंदाज किया है। जिसके सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि केस डायरी के पर्चा नं०-24 में विवेचक द्वारा राजस्व निरीक्षक श्री बम्बन सिंह, हल्का लेखपाल श्री गोपाल जी श्रीवास्तव, गवाह दुखहरन गुप्ता, गवाह साधूराम यादव, गवाह वंशराज के मजीद बयान अंकित किये गये हैं जिसमें राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा कहा गया कि पैमाइश के समय मार-पीट, गाली गुप्ता एवं अन्य घटना नहीं हुई थी। यदि इस तरह की कोई घटना होती तो उनके द्वारा पुलिस को सूचना देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया होता। तथा गवाही दुखहरन, साधूराम यादव व वंशराज ने कहा कि पैमाइश के समय मौके पर वे तथा गाँव के अन्य लोग भी मौजूद थे। अक्षय कुमार अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था इसलिए ग्राम प्रधान के घर के लोगो ने उसका मोबाइल छीन लिया तथा उसके हाथ से सोने की अंगूठी भी गिर गयी जो नहीं मिली। हल्का लेखपाल द्वारा मोबाइल उसे वापस कराया गया। तहसील दिवस के प्रार्थना में उनका भी हस्ताक्षर है और वे सब पैमाइश के समय वहीं मौके पर मौजूद थे लेकिन ग्राम प्रधान के लोगों ने उन्हें नहीं मारा-पीटा। जबकि सामान्यतया यदि अक्षय कुमार के साथ दुखहरन गुप्ता, साधूराम यादव, वंशराज ने भी प्रार्थना पत्र दिया था और मौके पर वे सभी मौजूद थे, तो मार-पीट, गाली गलौज की घटना केवल अक्षय कुमार के साथ ही नहीं बल्कि उपरोक्त तीनों साक्षीगण के साथ कारित की गयी होती। फिर उपरोक्त साक्षीगण ने अपने मजीद बयान में कहा है कि मौके पर मौजूद होने के बावजूद अक्षय कुमार का मोबाइल किसने छीना, उन्होंने नहीं देखा और विवेचक द्वारा पूछने पर कहा कि जब सभी नामित विपक्षीगण अक्षय कुमार को मार-पीट रहे थे तब उन्होंने पुलिस को 112 नम्बर पर सूचना नहीं दी थी। इस प्रकार विवेचक द्वारा तमामी विवेचना से ग्राम जयनगरा व कठौआ में वादी अक्षय कुमार के साथ किसी भी प्रकार की लूटपाट, मारपीट, गाली-गलौज व अन्य कोई भी घटना घटित होने का साक्ष्य नहीं पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया है तथा कोई भी पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा सम्बन्धित कई लोगों के बयान अंकित कर उनके बयानों के आधार पर निष्कर्ष दिया है। विवेचक का बाद विवेचना निष्कर्ष संकलित साक्ष्य के अनुरूप है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः प्रोटेस्ट पिटीशन का०सं०-5 क विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है तथा अन्तिम रिपोर्ट सं०-01/2020 दिनांकित-09.11.2020 मु०अ०सं०-89/2020 अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 392 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1) (घ), 3(2) (V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रोटेस्ट पिटीशन का०सं०-5 क विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट निरस्त किया जाता है तथा विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट सं०-01/2020 दिनांकित-09.11.2020 मु०अ०सं०-89/2020 अन्तर्गत धारा

147, 323, 504, 506, 392 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1) (ध), 3(2) (V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।"

Thus, taking note of the aforesaid, this Court finds that the appellant failed to make out the case before the trial court and trial court, after considering the facts that (i) despite making allegations of assault against the respondent Nos. 2 to 10, herein, the appellant failed to indicate and prove the fact that he was examined and treated by doctor and (ii) the Lekhpal and Revenue Inspector found that there is no encroachment over Gaon Sabha land as also the statements of independents witnesses namely Rakesh Kumar (real brother of the appellant), Gopal Ji Srivastava (Lekhpal), Babban Singh (Revenue Inspector), Dukharan Gupta, Sadhuram and Vanshraj, according to whom, no such incident, as alleged in the FIR or protest petition, occurred on 24.01.2020, rightly rejected the protest petition of the appellant vide impugned order dated 22.01.2024. It is also for the reason that the appellant, to the view of this Court, was using the state machinery just to create pressure on the revenue authorities, which is nothing but an abuse of process of law.

For all the reasons aforesaid, the appeal has no force. It is accordingly ***dismissed***. Cost made easy.

Order Date :- 23.4.2024

Arun/-